

13/2/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 23/02/2024 की बिंदु सं 3 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रार्थी द्वारा आराजी सं 3413 पर पहुँच मार्ग राजस्व नक्शे अनुसार आराजी सं. 3434 किस्म गें.मु. रास्ता से उपलब्ध है व उक्त रास्ता वर्तमान में बंद है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर रिकॉर्डेड पहुँच मार्ग पूर्व से उपलब्ध है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर खारिज किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा सं. 3434 किस्म गें.मु. रास्ता पर किए गए अतिक्रमण को सीमाबान कर हटाने का कार्यवाही करे एवं प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो तहसीलदार रायपुर के समक्ष इस हेतु आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करे। पत्रावली फेंसल शुमार हो कर नंबर से एक कम हो।

सहायक बलवदर  
(सहायक बलवदर)